न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्या 3 / 2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

खां पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू
खा प्रबंधक बैक ऑफ बडौदा शाखा बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

–– अप्रार्थीगण

––

र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

यतः–

श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
श्री हरिप्रसाद सैनी, एडवोकेट– अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2021

ली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल माखर तहसील व जिला नूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 114 के अनुसार ग्राम माखर मे स्थित ख0न0 354 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी बाबूखां पुत्र मुताज, जाति मान, सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:–

क0 स0	जमाबन्दी संवत्	ख0न0	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मौरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012	360	274 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक
2	2025–2028	360	149 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	नोट आदेश जिलाधीश महोदय, झुंझुनू के क्रमांक 2265–67 दिनांक 10.06.67 भूमि ख0न0 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा 360 / 479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गै0मु0 नदी में से 128

					बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गै0मु0 नदी रहेगा।
	2025–2028	360 मीन	3 बीघा	बारानी सोयम	मुमताज पि0 इनायत खां जाति मुसलमान सा0 देह गैर खातेदार।
	2029–2032	360 मीन	3 बीघा	बारानी सोयम	मुमताज पि0 इनायत खां जाति मुसलमान सा0 देह गैर खातेदार।
5	2033–2036	360 मीन	3 बीघा	बारानी सोयम	मुमताज पि0 इनायत खां जाति मुसलमान सा0 देह गैर खातेदार।
6	2042–2045	360 मीन	3 बीघा	बारानी सोयम	मुमताज पि0 इनायत खां जाति मुसलमान सा0 देह गैर खातेदार।
7	2060–2063	354	0.76 है0	बारानी 3	मिजन बेबा मुमताज बाबुखां पुत्र मुमताज जाति मुसलमानसा0 देह खातेदार।
8	2062–2065	354	0.76 है0	बारानी 3	बाबुखां पुत्र मुमताज जाति मुसलमानसा0 देह खातेदार
9	2064–2067	354	0.76 है0	बारानी 3	बाबुखां पुत्र मुमताज जाति मुसलमानसा0 देह खातेदार
10	2067–2071	354	0.76 है0	बारानी 3	बाबुखां पुत्र मुमताज जाति मुसलमानसा0 देह खातेदार
11	2074–2077	354	0.76 है0	बारानी 3	बाबुखां पुत्र मुमताज जाति मुसलमानसा0 देह खातेदार

र्णित भूमि गै0मु0 नदी होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी नही हैं। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना न काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भूमि के संबंध गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण तथा आज तक की गई परिवर्तन की ही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपूर के यहां दर्ज 0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी से जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को धा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। फरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम में स्थित भूमि ख.न. 354 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी अप्रार्थीगण के से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें

जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा

पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। ये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा सीधे बहस की।

ुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया पटवार मण्डल माखर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.76 हैक्टर मबन्दी संवत् 2012 से 2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी 2028 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। करण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई ार नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनोवदक के खाते से हटाया ौ0मु0 नदी के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को आदेश फरमाया जावे।

ी ने बहस के दौरान नजीर 2014 आर.बी.जे. 504 तथा 2019 आर.बी.जे. 241 की ध्यान या तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण मि का आंवटन हुआ है जो निरस्त नही किया गया है। वर्तमान में भूमि की खातेदारी ाम से दर्ज जो नियमानुसार व सही है। रेफरेन्स करने से पूर्व विवादित भूमि की मौका ही की गई है। भूमि के कम मे मुआवजा व अन्य सरकारी सुविधायें मिली है। प्रार्थी ने ्यों पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। र्थना पत्र अन्दर मियाद नही है। अतः उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। प्रकरण के से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :–

ा में एक अहम बिन्दु यह है कि विवादित आराजी की बाबत जिलाधीश, झुंझुनू ने एक क्रमांक 2265–67 दिनांक 10.06.1967 को दिया था, जिसके अनुसार ''भूमि खसरा नम्बर तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा, 360/479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 गैर मुमकीन नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गैर मुमकीन नदी रहेगा।'' इस तत्कालीन कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म बदली है। उक्त तथ्य का र्ड देखकर परीक्षण आवश्यक है।

ण में अप्रार्थीगण का तर्क यह रहा है कि वर्तमान विवादित आराजी कृषि भूमि के रूप में आ रही है। इस हेतु अप्रार्थीगण ने नजीर 2014 आर.बी.जे. 504 के अनुसार ''रेफरेन्स त करने से पूर्व मौका जांच करवाई जाकर यह निष्कर्ष निकालना था कि आंवटन से क्या /नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है।'' प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर झुंझुनूं

के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे इस बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकें। न्यायालय की दृष्टि में प्रकरण का निस्तारण उसके सभी पहलुओं की जांच के बाद किया जाना न्यायोचित है। ग्राम बगड पटवार हल्का माखर की सरहद मे स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.76 हैक्टर जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थी का तर्क यह है उक्त विवादित आराजी उसकी खातेदारी भूमि है, जिसकी किस्म वर्तमान में बारानी 3 के रूप में दर्ज है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन से हम सहमत है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2019 आर.बी.जे. 241 के अनुसार Although there is no limitation prescribed for making reference but delay should be reasonable. Delay of 44 years cannot be said to be reasonable in any manner. प्रकरण में विवादित आराजी जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के बाद खातेदारी के रूप में दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष लगभग 53 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर स्वीकार योग्य नहीं होने खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है तथा आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह मौके की विस्तृत जांच करें तथा जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के परिपेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तत्पश्चात यदि रेफरेन्स का प्रकरण बनता है तो प्रार्थी पुनः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत करनें हेतु स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू